

**न्यायालय: श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर**  
**जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रकरण.क.-960 / 2011  
 संस्थित दिनांक-12.12.2011  
 फाईलिंग क.234503001012011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-गढ़ी,  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

नैनसिंह पिता मिस्तरसिंह, उम्र-35 वर्ष,  
 निवासी-ग्राम घोट(औरई), थाना बिछिया,  
 जिला-मण्डला (म.प्र.)

----- **आरोपी**

// **निर्णय** //

**(आज दिनांक-08/02/2017 को घोषित)**

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-17.01.2011 को 12:30 बजे, आरक्षी केन्द्र गढ़ी अंतर्गत ग्राम चारटोला गुरुद्वारा के सामने लोकमार्ग पर ट्रक क्रमांक-सी.जी-07/सी-4275 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, आहत मिठ्ठन को पैर पर टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-17.11.11 को सूचनाकर्ता रूपासिंह ने थाना बिछिया, जिला मण्डला आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम चारटोला, अंतर्गत थाना गढ़ी जिला बालाघाट में रहता है। उक्त दिनांक को 12:30 बजे ग्राम चारटोला का मिठ्ठन पिता अघनू गोंड साईकिल से गांव जा रहा था, तभी गुरुद्वारे के सामने रायपुर की तरफ से आ रहे ट्राला क्रमांक-सी.जी-07/सी-4275 के ड्राइवर ने ट्राला को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए मिठ्ठन को टक्कर मार दी, जिससे मिठ्ठन साईकिल से छिटककर दूर गया और उसे बाएं पैर के पंजे, चेहरे में व बाएं हाथ में चोट लगी थी। सूचनाकर्ता की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना बिछिया, जिला मण्डला में आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक-0/2011, अंतर्गत धारा-279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा रिपोर्ट को असल कायमी हेतु पुलिस थाना गढ़ी, जिला बालाघाट भेजा गया, जहां आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक-44/11, अंतर्गत धारा-279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तथा विवेचना के दौरान उक्त घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, आरोपी से वाहन मय दस्तावेज के जप्त कर वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करवाया गया। पुलिस द्वारा आहत मिठ्ठन की चिकित्सीय रिपोर्ट में आहत को अस्थि भंग होना पाये जाने से आरोपी के

विरुद्ध धारा-338 भा.द.वि. का इजाफा किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-17.01.2011 को 12:30 बजे, आरक्षी केन्द्र गढ़ी अंतर्गत ग्राम चारटोला गुरुद्वारा के सामने लोकमार्ग पर ट्रक क्रमांक-सी.जी-07/सी-4275 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत मिठ्ठन को पैर पर टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की ?

#### विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 का निष्कर्ष :-

5- अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी रूपासिंह अ.सा.1 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता और उसे देखने पर भी नहीं पहचान सकता। घटना उसके बयान देने के एक वर्ष पूर्व की दिन के 12:00 बजे की है। वह अपने खेत में काम कर रहा था, तभी गांववालों का हल्ला सुनकर गुरुद्वारा गया तो देखा कि सड़क पर ट्रक खड़ा था और मिठ्ठन सिंह सड़क पर पड़ा हुआ था। उसने घटना होते हुए नहीं देखी। उसने चौकी जाकर प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट लेख कराई, जिस पर उसने अंगूठा लगाया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कहा है कि उसे ट्रक का नंबर नहीं मालूम। साक्षी ने स्वीकार किया कि ट्रक के चालक ने वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर आहत मिठ्ठन को टक्कर मारी थी, जिससे उसे चोट आई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि घटना के समय वह खेत पर था और हल्ला सुनकर मौके पर गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने वाहन को आते हुए स्वयं नहीं देखा था। बाद में वह आहत को अस्पताल लेकर गया था। बचाव पक्ष के इस सुझाव को साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने अपनी रिपोर्ट बिना पढ़े अथवा सुने अंगूठा लगा दिया था।

6- अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी मिठ्ठन अ.सा.4 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना उसके बयान देने के एक वर्ष से अधिक समय की है। घटना दिनांक को वह साईकिल से चारटोला से सिजोरा डिपो जा रहा था। जब वह ग्राम चारटोला के गुरुद्वारे के सामने पहुंचा तो पीछे से ट्रक ने आकर उसकी साईकिल को टक्कर मार दी, जिससे वह नाली में जाकर गिर गया था और उसे बाएं

पैर में चोट लगी थी। घटना के समय ट्रक कौन चला रहा था, वह देख नहीं पाया था। साक्षी ने कहा है कि दुर्घटना वाहन चालक की लापरवाही से हुई थी, क्योंकि वह सड़क पर अपनी तरफ से जा रहा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि जहां दुर्घटना हुई थी, वहां की सड़क खराब थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि किस ट्रक ने उसे टक्कर मारी थी, यह वह नहीं बता सकता। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि वह स्वयं अपनी गलती से गिर गया था, जिससे उसे चोट आई थी।

7— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी अ.सा.2 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आहत मिठ्ठन को जानता है। उसे जानकारी हुई कि मिठ्ठन की दुर्घटना ट्रक से हुई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि ट्रक क्रमांक-सी.जी-07/सी-4275 के चालक ने वाहन को लापरवाहीपूर्वक तेज गति से चलाकर आहत मिठ्ठन को टक्कर मारी थी और आहत मिठ्ठन उसके सामने साईकिल से गिरा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह कहा है कि उसने पुलिस को उसका पुलिस कथन प्रदर्श डी-1 नहीं लेख कराया था। साक्षी ने यह भी कहा है कि वाहन कौन चला रहा था, वह नहीं बता सकता।

8— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी संतकुमार अ.सा.3 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। घटना उसके बयान देने के तीन वर्ष पूर्व दोपहर 12:00 बजे की है। आहत मिठ्ठन जब साईकिल से ग्राम चारटोला से सिजोरा की तरफ जा रहा था, तभी एक ट्रक ने पीछे से उसे टक्कर मार दी थी। उसने टक्कर होते हुए नहीं देखी थी। मौके पर भीड़ लगी थी, तब उसने देखा कि आहत गिरा हुआ था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि ट्रक चालक ने तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर आहत को टक्कर मारी थी, जिससे आहत को चोट आई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना घटित होते समय वह मौके पर नहीं था। साक्षी ने स्वीकार किया कि जिस ट्रक से दुर्घटना हुई थी, उस ट्रक को चलाते हुए उसने नहीं देखा था। वह लोगों के बताए अनुसार घटना के विषय में बता रहा है।

9— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी हिरव अ.सा.5 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आहत मिठ्ठन को पहचानता है। घटना उसके बयान देने के दो वर्ष पूर्व की है। आहत मिठ्ठन को ट्रक ने टक्कर मार दी थी। घटना घटित होते हुए उसने नहीं देखा था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि वाहन क्रमांक-सी.जी-07/सी-4275 के चालक ने वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर आहत को टक्कर मारी थी, जिससे उसे चोट आई थी। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि अदालत में उपस्थित आरोपी ट्रक को चला रहा था। साक्षी ने कहा है कि कोई अन्य व्यक्ति दुर्घटना के समय ट्रक को चला रहा था। प्रतिपरीक्षण



में साक्षी ने स्वीकार किया कि जब घटना हुई थी, तब वह घर पर था और हल्ला होने के बाद वह मौके पर गया था। साक्षी ने यह भी कहा है कि दुर्घटना कैसे हुई थी, वह नहीं बता सकता।

10— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी राजकुमार हिरकने अ.सा.6 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—18.11.11 को थाना गढ़ी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक शीतल क्रमांक—1150 थाना गढ़ी द्वारा थाना बिछिया से प्रदर्श पी—1 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन थाना गढ़ी में लेकर आया था, जिसका असल कायमी प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक—44/11, अंतर्गत धारा—279, 337 भा.द.वि. के तहत प्रधान आरक्षक खेमराज राणा क्रमांक—537 द्वारा लेख किया गया था, जो प्रदर्श पी—4 है, जिसके ए से ए भाग पर प्रधान आरक्षक खेमराज राणा के हस्ताक्षर हैं। उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक—20.11.11 को रूपसिंह की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी—2 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने फरियादी रूपसिंह साक्षी विजय कुमार, शांत कुमार, खिलउ धुर्वे, राजेश, मिठठन के बयान उनके बताए अनुसार लेख किये थे। ट्रक मालिक राजेश ने अपने बयान में वाहन क्रमांक—सी.जी—07/सी—4275 घटना दिनांक को आरोपी नैनसिंह का होना बताया था। उसने आरोपी नैनसिंह से जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—5 अनुसार वाहन क्रमांक—सी.जी—07/सी—4275 मय दस्तावेजों के जप्त किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी नैनसिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—6 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने जप्तशुदा वाहन का विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण कराकर परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया था और आहत को फ्रेक्चर होने से आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा—338 बढ़ाई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि घटना दिनांक 17.11.11 की है, परंतु इस दिनांक को थाना गढ़ी में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। साक्षी ने यह भी कहा है कि विवेचना के समय आरोपी घटनास्थल पर नहीं था। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि उसने साक्षियों के कथन अपने मन से लेख किये थे और घटनास्थल का मौकानक्शा थाने पर बैठकर बनाया था।

11— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी राजेश श्रीवास्तव अ.सा.7 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि दिनांक—16.11.11 को उसके स्वामित्व का वाहन क्रमांक—सी.जी—07/सी—4275 रायपुर से जबलपुर लोहा लेकर जा रहा था, तब उसे थाना गढ़ी से सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी साईकिल चालक को उक्त वाहन से टक्कर मारी गई है। उसे वाहन चालक ने भी दूरभाष से सूचना दी थी। उसने आरोपी नैनसिंह की जमानत थाने पर ली थी। आरोपी को उसके समक्ष गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—6 के बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने न्यायालय के आदेश से जप्त किया गया

ट्रक प्राप्त किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे वाहन चालक नैनसिंह ने फोन कर यह नहीं बताया था कि साईकिल चालक को ट्रक से टक्कर लगी है। साक्षी ने स्वीकार किया कि दुर्घटना के समय वह मौके पर उपस्थित नहीं था, इसलिए वह नहीं बता सकता कि ट्रक कौन चला रहा था।

12— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अंतर्गत अपराध किये जाने का अभियोग है। अभियोजन साक्षी राजेश श्रीवास्तव अ.सा.7 ने यह कहा है कि दुर्घटना दिनांक को आरोपी उसके स्वामित्व का वाहन क्रमांक-सी.जी-07/सी-4275 लेकर रायपुर से जबलपुर की ओर जा रहा था। शेष अभियोजन साक्षी जो मौके पर उपस्थित थे, उन्होंने आरोपी की पहचान के विषय में कोई कथन नहीं किया है। अभियोजन साक्षी रूपसिंह अ.सा.1, विजय कुमार अ.सा.2, संतकुमार अ.सा.3, मिठ्ठन अ.सा.4, हिरव अ.सा.5 ने यह कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानते। तर्क के लिए यदि यह मान भी लिया जाए कि आरोपी दुर्घटना दिनांक को वाहन क्रमांक-सी.जी-07/सी-4275 को चला रहा था, तब भी अभियोजन की ओर से ऐसे किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है, जिसके द्वारा यह कहा गया हो कि दुर्घटना के समय आरोपी द्वारा लापरवाहीपूर्वक व उतावलेपन से लोकमार्ग पर वाहन चलाया जा रहा था। अभियोजन साक्षी रूपसिंह अ.सा.1, विजय कुमार अ.सा.2, संतकुमार अ.सा.3, हिरव अ.सा.5 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि दुर्घटना होते हुए उन्होंने नहीं देखी, जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार उपरोक्त साक्षी मौके पर उपस्थित थे और उन्होंने दुर्घटना स्वयं होते हुए देखी थी। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि आरोपी नैनसिंह ने दुर्घटना दिनांक को वाहन क्रमांक-सी.जी-07/सी-4275 को लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चला रहा था। अतः आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अंतर्गत अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने से आरोपी को उक्त धारा में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

#### **विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2 का निष्कर्ष :-**

13— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-338 के अंतर्गत अपराध किये जाने का अभियोग है। प्रकरण में आहत मिठ्ठन ने यह कहा है कि किस ट्रक की टक्कर से उसे दुर्घटना में चोट आई थी, वह नहीं बता सकता। अभियोजन साक्षी रूपसिंह अ.सा.1, विजय कुमार अ.सा.2, संतकुमार अ.सा.3, हिरव अ.सा.5 ने यह कहा है कि दुर्घटना में आहत को चोट आई थी। प्रकरण में चिकित्सक साक्षी का न्यायालयीन परीक्षण नहीं कराया जा सका है, क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाने के कारण उसका न्यायालय के समक्ष परीक्षण नहीं कराया जा सका है। प्रकरण में यह प्रमाणित नहीं पाया गया है कि दुर्घटना दिनांक को आरोपी लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से वाहन चला रहा था, जिससे दुर्घटना हुई थी, इसलिए आहत मिठ्ठन को आई घोर उपहति के दोषी नहीं माना जा सकता। अतः आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-338 के अंतर्गत अपराध किया जाना संदेह

से परे प्रमाणित नहीं होने से आरोपी को उक्त धारा में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

14— प्रकरण में आरोपी अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

15— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

16— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक-सी.जी-07/सी-4275 को सुपुर्ददार राजेश कुमार श्रीवास्तव पिता वशिष्ठ नारायण श्रीवास्तव, उम्र-45 वर्ष, साकिन ट्रांसपोर्ट नगर हथखोज भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ को सुपुर्दनामा पर प्रदान की गई है जो अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझी जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर  
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(श्रीष कैलाश शुक्ल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

(श्रीष कैलाश शुक्ल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)